E-mail

बिहार सरकार

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना

संख्याः–8 / आरोप(राज0 उ0)–2–32 / 2012......857...... / श्री किशोर कुमार साह, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, सुपौल के कर्त्तव्य काल में उनके विरूद्ध मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, हठधर्मिता, अवैध मादक पदार्थो की बिक्री में संलिप्तता, सरकारी राजस्व की क्षति, जिला स्तर की बैठकों में भाग नही लेना, राजस्व वसूली में उदासीनता आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–4654 दिनांक 30.12. 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–514 दिनांक 10.11. 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि आरोप संख्या–05 एवं 06 को पूर्णतः प्रमाणित नही तथा 01, 02, 04 को पूर्णतः प्रमाणित एवं 03 को कारोबारियों के साथ संलिप्तता को छोड़कर प्रमाणित बतलाया गया है ।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–5264 दिनांक 23.12.2014 द्वारा श्री साह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी ।

4. श्री साह द्वारा पत्रांक–19 दिनांक 05.01.2015 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। श्री साह द्वारा अपने बचाव बयान में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को अमान्य बताया गया है। जिसका कोई ठोस आधार न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र के द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरांत द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (vi) के तहत् वृहद दण्ड के रूप में दो वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

6. विभागीय पत्रांक–1916 दिनांक 28.04.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अपने पत्रांक–2458 दिनांक 12.01.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि सम्यक विचारोपरांत आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है।

7. अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से सहमत होते हुए श्री किशोर कुमार साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (vi) के तहत् 02 (दो) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है।

8. इस प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अभय राज)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आरोप(राज0 उ0)–2–32/2012 857 पटना, दिनांकः–15/2/16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8/आरोप(राज0 उ0)–2–32/2012 – 857 पटना, दिनांकः–15/2/16

प्रतिलिपिः–विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/उपायुक्त उत्पाद,दरभंगा–सह–कोशी–पूर्णियॉ प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, सुपौल/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के निजी सहायक/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–5/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना एवं श्री किशोर कुमार साह, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
बिहार, पटना।